सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (र

पीठासीन अधिकारी श्री वासुदेव मालावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 04/2018

बउनवान

श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारा
(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री बृजकिशोर पुत्र श्री रामसहाय अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी श्री कृष्णा कॉलोनी अटरू रोड बस्ती सालपुरा कवाई तहसील अटरू जिला बारां **(मौके पर मौजूद विक्रेता एवं मालिक)** मेसर्स हिमालय मिल्क एण्ड आईसक्रीम पार्लर, श्री कृष्णा कॉलोनी, कवाई तहसील अटरू जिला बारां
(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– श्री सत्येन्द्र शर्मा एडवोकेट (अप्राथी की ओर से)

निर्णय दिनांक 13.07.2018

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 08.05.2017 को मेसर्स हिमालय मिल्क एण्ड आईसक्रीम पार्लर, श्री कृष्णा कॉलोनी, कवाई तहसील अटरू जिला बारां पर पहुंचा। वहॉ पर श्री बृजकिशोर पुत्र श्री रामसहाय अग्रवाल **(मौके पर मौजूद विक्रेता)** की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि वहां पर आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ **आईसकेण्डी** रखा हुआ था, में मिलावट व मिथ्याछाप का शक होने पर उसमें से **आईसकेण्डी** विक्रेता से 1200 ग्राम को साफ सुखी तपेली में तुलवाकर वास्ते नमूना जांच उपस्थित गवाहान के समक्ष खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को 120/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, मौके पर नमूना लेने की सूचना देने हेतु फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार की जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं स्वंय हस्ताक्षर किये। नियमानुसार फर्द रिपोर्ट तैयार की तथा पढ़कर विक्रेता, गवाहान को सुनाया तथा उनके हस्ताक्षर करवाकर स्वंय हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने वास्ते नमूना जांच खरीदे हुए **आईसकेण्डी** 1200 ग्राम को चार नमूना भाग में कर खाली साफ एवं सुखी कांच के जारों में बराबर बराबर भरकर प्रत्येक जार में परीरक्षक फार्मलीप की 24–24 बूंदे डालकर प्रत्येक जार को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. के लेबल चिपकाये प्रत्येक लेबल पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा स्वंय भी हस्ताक्षर किए। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप चारों नमूना भाग पर उपर से नीचे तक फेवीकोल से चिपकाये तथा धागे से बांधकर नियमानुसार चपड़ी से सील किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ नियमानुसार तैयार एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर स्वंय द्वारा जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर डीओ मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. बारां को जमा कर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक को डी.ओ. मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. बारां के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/ 2017/147 दिनांक 17.06.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 349/FSSA/Kota/Act/2017/355 दिनांक 25.05.2017 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय

किया गया, **आईसकेण्डी** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 3(1) (zx)के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही एफएसएस 2006 के नियमों के आवश्यक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। संपूर्ण कार्यवाही में कोई भी स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर नहीं है प्रार्थी द्वारा तैयार की गई समस्त फर्दात पर विभागीय कर्मचारियों के हस्ताक्षर हैं जबकि उक्त आईसकेण्डी की दुकान मेन मार्केट में अवस्थित है इससे प्रतीत होता है कि विभाग द्वारा मौके पर कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। नमूना साफ सूखे बर्तन में नहीं लिया गया है जांच रिपोर्ट के आधार पर (चीनी) शुगर 9.5 प्रतिशत होना अंकित किया स्टेण्डर्ड के अनुसार 10 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये 0.5 प्रतिशत का अंतर साफ सूखे बर्तन में नमूना नहीं लेने से भी आ सकता है। उक्त जांच रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ मानव जीवन के लिये हानिकारक होना नहीं बताया है। प्रार्थी ने विधि के नियमों के आवश्यक प्रावधानों की पालना नहीं कर भूल की है अतः अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त फरमावें।

हमने बहस उभयपक्ष प्रार्थी एवं अभिभाषक अप्रार्थी की सुनी। दौराने बहस प्रार्थी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **आईसकेण्डी** का विक्रय किया जा रहा था, वह जॉच मे **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि नमूना साफ सूखे बर्तन में नहीं लिया गया है जांच रिपोर्ट के आधार पर (चीनी) शुगर 9.5 प्रतिशत होना अंकित किया स्टेण्डर्ड के अनुसार 10 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये 0.5 प्रतिशत का अंतर साफ सूखे बर्तन में नमूना नहीं लेने से भी आ सकता है। जांच अधिकारी द्वारा सही रूप से जांच नहीं की गई। सेम्पल लेने एवं रिपोर्ट आने में काफी दिनों का अन्तर है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अप्रार्थी के पास से वास्ते नमूना जांच लिया गया, खाद्य पदार्थ **आईसकेण्डी** जॉच मे **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत, अप्रार्थी को कुल 5,000/— अक्षरे पांच हजार मात्र के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाये।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वासुदेव मालावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)